

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 694 / 2014 / सिरौही
2. अपील संख्या 695 / 2014 / सिरौही
3. अपील संख्या 696 / 2014 / सिरौही

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट प्रथम, वृत्त सिरौही

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बागरेचा ज्वेलर्स
मेन मार्केट, शिवगंज, सिरौही

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री जमील जई
राजकीय उप अभिभाषक
श्री आर.आर.सिंघवी
अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.08.2015

निर्णय

उपरोक्त तीनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, वृत्त सिरौही (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के द्वारा अपील संख्या 16, 17 व 18/आरवैट/सिरौही/13-14 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 05.12.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 26, 55 व 65 के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के लिए पारित आदेश दिनांक 08.07.2013 के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया। तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रूप से रखी जाये।

क्र.सं.	अ.सं.	कर.निर्धारण.वर्ष एवं आदेश दिनांक	कर	ब्याज
1.	694 / 14	2007-08, 08.07.2013	49531 / -	17,899 / -
2.	695 / 14	2008-09, 08.07.2013	43529 / -	9519 / -
3.	696 / 14	2009-10, 08.07.2013	48760 / -	7460 / -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी फर्म कम्पोजीशन सर्राफा डीलर्स योजना, 2006 (जिसे आगे योजना-2006 कहा जायेगा) के अन्तर्गत

पंजीकृत है। अपीलार्थी फर्म को योजना-2006 के अन्तर्गत प्रशमन प्रमाण पत्र वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के लिए जारी किया गया। योजना-2006 की शर्तों के अनुसार आलोच्य अवधि में कम्पोजीशन राशि को चार समान किस्तों में क्रमशः 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 अक्टूबर एवं 7 जनवरी को जमा कराना था। वर्ष 2007-08 में व्यवहारी ने कम्पोजीशन राशि रु. 22770/- (वर्ष 2006-07 की राशि रु. 19800/- का 115 प्रतिशत) की चार समान किस्त प्रति किस्त रु. 5692/- को उक्त तारीखों तक क्रमशः जमा कराना था। इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में व्यवहारी ने कम्पोजीशन राशि रु. 26186/- (वर्ष 2007-08 की राशि रु. 22770/- का 115 प्रतिशत) की चार समान किस्त प्रति किस्त रु. 6547/- एवं वर्ष 2009-10 में कम्पोजीशन राशि रु. 30114/- (वर्ष 2008-09 की राशि रु. 26186/- का 115 प्रतिशत) की चार समान किस्त प्रति किस्त रु. 7529/- को उक्त तारीखों तक क्रमशः जमा कराना था। को उक्त तारीखों तक क्रमशः जमा कराना था। व्यवहारी द्वारा वर्ष 2007-08 में 12,000/- दिनांक 09.04.2007, वर्ष 2008-09 में 5000/- दिनांक 24.04.2008, 10,000/- दिनांक 12.06.2008 तथा 11185/- दिनांक 22.10.2008 तथा वर्ष 2009-10 में रु. 25,000/- दिनांक 10.04.2009, 15113/- दिनांक 01.09.2009 को जमा कराये। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा निर्धारित तिथि तक कम्पोजीशन राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण योजना-2006 के क्लॉज 5.4 के उल्लंघन होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को योजना-2006 के लाभ से वंचित कर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 26, 55 एवं 65 के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अधिनियम की धारा 26(3) के अन्तर्गत एसकेप्ड (Escaped) कर निर्धारण करने हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को अस्वीकार करते हुए उपरोक्ता तालिका के अनुसार कर एवं ब्याज आरोपित किया। उक्त कर एवं ब्याज को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने निष्कर्ष देते हुए आदेश पारित किया कि अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के अन्तर्गत रि-ओपन किए जाने की कोई परिस्थिति विद्यमान नहीं थी क्योंकि पूर्व में कर निर्धारण आदेश में अपीलार्थी के सम्पूर्ण टर्नओवर को आदेश में विचार किया हुआ था एवं किसी भी तरह का 'कर' आदेश में छूटा हुआ नहीं था। ऐसी स्थिति में विलम्ब शुल्क आरोपण नहीं होने के आधार पर अधिनियम की धारा 26 का उपयोग नहीं किया जा सकता है अतः धारा 26 में पारित तीनों कर निर्धारण आदेशों को अपास्त कर व्यवहारी की अपीलें स्वीकार कर अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 05.12.2013 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से ये तीनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि योजना -2006 की शर्तों के अनुसार आलोच्य अवधि में कम्पोजीशन राशि को चार समान किस्तों में क्रमशः 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 अक्टूबर एवं 7 जनवरी को

जमा कराना था किन्तु उक्त शर्तों के अनुसार कम्पोजीशन राशि समय पर जमा नहीं कराया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने योजना-2006 के क्लॉज 5.4 का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए उपरोक्ता तालिका के अनुसार कर एवं ब्याज आरोपित किया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने योजना-2006 की शर्तों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त किया है, जो अनुचित होने के साथ-साथ अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर तीनों अपीलें स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव विधि सम्मत नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण आदेशों में किसी भी तरह का कर अथवा टर्नओवर निर्धारित किये जाने से छूटा नहीं है, केवल मात्र ऑडिट आक्षेप के आधार पर पुनः कर निर्धारण किया जाना विधिविरुद्ध है। उनका कथन है कि जारी नोटिस से यह भी प्रमाणित होता है कि कोई कर बकाया नहीं है केवल मात्र कुछ किश्तों का भुगतान विलम्ब से किया गया है एवं कुछ किश्तों का भुगतान समय से पूर्व भी किया गया है, इस तरह केवल विलम्ब से भुगतान के आधार पर अधिनियम की धारा 26 में सम्पूरित किया गया कर निर्धारण आदेश को अधिनियम की धारा 26 में पुनः खोला जाने के लिए विधि अनुमति प्रदान नहीं करता है।

उनका कथन है कि व्यवहारी को जारी प्रशमन प्रमाण पत्र के अनुसार समस्त किश्तों का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि व्यवहारी द्वारा किसी भी टर्नओवर को नहीं छुपाया गया है एवं न ही कर निर्धारण से छूट गया है इसलिए अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण किये जाने का कोई आधार नहीं है। उनका कथन है कि योजना-2006 के तहत प्रमाण पत्र जारी किए गए थे जिनके अनुसार किश्तों का भी निर्धारण हुआ है ऐसी स्थिति में प्रमाण पत्र को किसी विशिष्ट आधार पर "योजना-2006 के क्लॉज 7.6 में निरस्त किए बिना उसका लाभ समाप्त नहीं किया जा सकता एवं व्यवहारी के प्रमाण प्रमाण पत्र को कर निर्धारण आदेश में भी निरस्त नहीं किया गया है बल्कि स्वेच्छा से व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत करारोपण करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं जो विधिसम्मत नहीं है। उनका यह भी कथन है कि किसी लाभ या प्रमाण पत्र को उसका लाभ प्राप्त करने के पश्चात भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों को दोहराते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन कर प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।



उभय पक्ष की बहस सुनी गई, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश पर दृष्टिपात किया गया। हस्तगत प्रकरणों में सराफा "योजना-2006" के अन्तर्गत प्रशमन प्रमाण पत्र वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के लिए जारी किये गये थे, जिसके अनुसार एक निश्चित राशि का भुगतान नियत अवधि में करना था परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा "योजना-2006" के तहत अनिवार्य किश्तों का भुगतान निश्चित दिनांक तक न कर विलम्ब से किया गया है। विलम्ब से किश्तों का भुगतान करने के कारण "योजना-2006" के क्लॉज 5.4 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेशों को रि-ओपन कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर एवं ब्याज का आरोपण किया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यह तर्क दिया गया कि "कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी समस्त नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि निर्धारित किश्तों को समय पर नहीं जमा कराने पर विलम्ब शुल्क देय था, जिसे जमा नहीं कराने के आधार पर कर निर्धारण आदेश पुनः खोले जाने योग्य है, जो कि अविधिक है क्योंकि विलम्ब शुल्क शास्ति के रूप में निर्धारित राशि है जिसके जमा न होने के आधार पर कर निर्धारण आदेश पुनः खोले नहीं जा सकते हैं।" विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त कथन को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की है, जिसको कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित किया है।

हस्तगत प्रकरण में योजना -2006 की शर्तों के अनुसार आलोच्य अवधि में कम्पोजीशन राशि को चार समान किश्तों में क्रमशः 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 7 अक्टूबर एवं 7 जनवरी को जमा कराना था किन्तु उक्त शर्तों के अनुसार कम्पोजीशन राशि समय पर जमा नहीं कराई गई है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने योजना-2006 के क्लॉज 5.4 का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत आलोच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर एवं ब्याज का आरोपण किया है। विवादित बिन्दु के निस्तारण से पूर्व योजना-2006 के क्लॉज 5.4 को उद्धरित किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार है :-

"5.4 where a dealer has failed to deposit the composition amount in the period specified under the Scheme, he shall be allowed to continue to avail the benefits of the scheme on fulfillment of the following conditions, namely:-

(i) he shall deposit the whole of the amount which has become due under the Scheme along with the interest thereon at the rate notified under the said Act;

(ii) he shall also deposit a late fee, amounting to twenty five percent of the due composition amount required to be deposited under the Scheme where he deposit the due installments by December 31st, and this late fee



shall be fifty percent of due amount if he deposits the due installments after December 31 but before March 31, of the relevant financial year:

"Provided where the dealer has furnished the details of the annual turnover to his assessing authority for the period prior to 31.03.2011 and has failed to deposit, composition amount in the period specified under the Scheme or the late fee or interest, if any, before March 31 of the relevant year, he shall be allowed to avail the benefit of the Scheme on the condition that he shall deposit a late fee amounting to 100% of due composition amount required to be deposited under the Scheme along with due composition amount and interest up to September 30th 2012."

उक्त योजना के क्लॉज 5.4 के उपबन्ध में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सम्बन्धित वर्ष के 31 मार्च के पूर्व ब्याज अथवा विलम्ब शुल्क जमा कराने में असफल रहता है तो वह बकाया प्रशमन राशि के बराबर अर्थात् 100 प्रतिशत विलम्ब शुल्क 30 सितम्बर 2012 तक जमा कराने पर ही योजना-2006 का लाभ ले सकता है। हस्तगत प्रकरणों बकाया कर 08.07.2013 तक जमा कराना शेष था इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पारित किये गये तीनों ही वर्षों के पूर्व में किए गए नियमित कर निर्धारण आदेशों जो कि अधिनियम की धारा 23/24 के अन्तर्गत पारित किए गए थे विधिक रि-ओपन करते हुए कर एवं ब्याज आरोपित किया है, अतः उक्त प्रकार से की गई कार्यवाही को अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक ठहराना उचित नहीं है क्योंकि योजना-2006 के क्लॉज 5.4 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया गया है।

प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 26 को उद्धरित किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार है :-

26. Escaped assessment.— (1) An assessment —

- (a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or
- (b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under this Act has been escaped wholly or in part;
- (c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way or under any circumstances,

shall be deemed to be an escaped assessment and the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub-section (3).

Explanation.— The assessment under this section shall not include that part of the business which has already been assessed or deemed to have been assessed under the provisions of this Act.

(2) Where the Commissioner or the Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the



assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years, and no assessment under the said sub-sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant year; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in any order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court.


(4) The assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

अधिनियम की धारा 26(1)(सी) के पठन से स्पष्ट है कोई भी कर अथवा शुल्क पार्ट अनअसेस्ड अथवा अन्डर असेस्ड रह गया है तो उक्त पण्यावर्त तक का कर निर्धारण अधिनियम की उक्त धारा के अन्तर्गत सम्पूरित किया जा सकता है।

हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा योजना-2006 के अन्तर्गत विहित अवधि में प्रशमन राशि जमा नहीं करायी थी और संदर्भित नोटिफिकेशन दिनांक 06.05.2006 (यथा संशोधित दिनांक 01.01.2014 तक) के प्राक्थन में लिखित घोषणा है कि व्यवहारी स्वयं के कर दायित्व के स्थान पर प्रशमन राशि का विकल्प ले सकता है। **composition amount in lieu of their tax liability** की श्रेणी में आता है और वह वस्तुतः कर ही है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत नियमित कर निर्धारण को रीओपन किया जाकर कर एवं ब्याज आरोपित करना विधिक है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को अपास्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य